# <u>डिस्कलेमर</u>

**अंतरिम आदेश संख्या 46/2021-22 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।**

ऐरा/20019/सीजीएफ-जी/2010-11/वॉल्यूम-VIII (खंड फाइल)

**भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण**

**आदेश संख्या 46/2021-22**

**ऐरा बिल्डिंग,**
**प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,**
**सफदरजंग हवाईअड्डा,**
**नई दिल्ली – 110003**

**जारी करने की तारीख : 17 मार्च, 2022**

**कार्गो हैंडलिंग, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति के लिए स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं संबंधी दिनांक 15.09.2021 के आदेश संख्या 18/2021-22 के मामले में–मौजूदा टैरिफ की वसूली 31.03.2022 के बाद भी जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।**

यह नीचे तालिका में सूचीबद्ध स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों के संबंध में मौजूदा टैरिफ 31.03.2022 के बाद वसूल करने की अंतरिम व्यवस्था की समयावधि बढ़ाने के संबंध में है:-

| क्र. सं. | सेवा प्रदाता का नाम | प्रदान की जाने वाली सेवा | हवाईअड्डा |
|---|---|---|---|
| 1 | भारत स्टार्स सर्विसेज (देहली) प्रा.लि.(बीएसएसडीपीएल) | आईटीपी | दिल्ली |
| 2 | इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग देहली प्रा.लि. (आईओएसडीपीएल) | | दिल्ली |
| 3 | कार्गो सर्विस सेन्टर (सीएससी) | कूरियर | मुम्बई |
| 4 | मुम्बई कार्गो सर्विस सेन्टर कोल्ड चेन सोल्यूशन प्रा. लि. (एमसीएससीसीसीपीएल) | | मुम्बई |
| 5 | एक्सप्रेस इंडस्ट्री कांउसिल ऑफ इंडिया (ईआईसीआई) | | बैंगलुरू |
| 6 | एक्सप्रेस इंडस्ट्री कांउसिल ऑफ इंडिया (ईआईसीआई) | | दिल्ली |
| 7 | देहली कार्गो सर्विस सेन्टर (डीसीएससी) | कार्गो | दिल्ली |
| 8 | सैलेबी देहली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | | दिल्ली |
| 9 | जीएमआर हैदराबाद कार्गो (पूर्व में हैदराबाद मैन्जाइस एयर कार्गो) | | हैदराबाद |
| 10 | मुम्बई कार्गो सर्विस सेन्टर एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (एमसीएससीएपीएल) | | मुम्बई |
| 11 | कॉनकोर एयर लिमिटेड | | मुम्बई |
| 12 | मैन्जाइस एविएशन बोब्बा प्रा.लि. | | बैंगलुरू |
| 13 | केरला स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज लि. (केएसआईई) | | कालीकट |
| 14 | केरला स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज लि. (केएसआईई) | | त्रिवेन्द्रम |
| 15 | राजस्थान स्मॉल इंडीस्ट्रीज कॉर्पो. लि. | | जयपुर |
| 16 | कन्नूर इंटरनेशन एयरपोर्ट लिमिटेड | | कन्नूर |
| 17 | लखनऊ इंटरनेशन एयरपोर्ट लिमिटेड | | लखनऊ |
| 18 | अहमदाबाद इंटरनेशन एयरपोर्ट लिमिटेड | | अहमदाबाद |
| 19 | एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्रा. लि. | | बैंगलुरू |
| 20 | एआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एआईसीएलएएस) | | चैन्नई |

| क्र. सं. | सेवा प्रदाता का नाम | प्रदान की जाने वाली सेवा | हवाईअड्डा |
|---|---|---|---|
| 21 | कार्गो सर्विस सेन्टर (सीएससी) | नष्ट होने योग्य कार्गो | अहमदाबाद |
| 22 | ग्लोब फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेस (पटना) प्राइवेट लिमिटेड | ग्राउंड हैंडलिंग | पटना |
| 23 | ग्लोब फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेस (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड | | पुणे |
| 24 | सैलेबी एनएएस एयरपोर्ट सर्विसेज (आई) प्रा.लि. | | मुम्बई |
| 25 | बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज (बीडब्ल्यूएफएस) | | मुम्बई |
| 26 | सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज (आई) प्रा.लि. | | दिल्ली |
| 27 | बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज (बीडब्ल्यूएफएस) | | दिल्ली |
| 28 | बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज (बीडब्ल्यूएफएस) | | कोचीन |
| 29 | बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (मोहाली) प्राइवेट लिमिटेड | | चंडीगढ़ |
| 30 | सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज (आई) प्रा.लि. | | कन्नूर |
| 31 | इंडो थाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड | | गुवाहाटी |
| 32 | | | जयपुर |
| 33 | | | कोलकाता |
| 34 | एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | | दिल्ली |
| 35 | | | बैंगलुरू |
| 36 | | | हैदराबाद |
| 37 | | | त्रिवेन्द्रम |
| 38 | | | मैंगलोर |
| 39 | एआई एयरपोटर्स सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल) | | चैन्नई |
| 40 | | | कालीकट |
| 41 | | | कोलकाता |
| 42 | | | मुम्बई |
| 43 | | | अहमदाबाद |
| 44 | | | कोचीन |
| 45 | | | गुवाहाटी |
| 46 | | | अमृतसर |
| 47 | | | भुवनेश्वर |
| 48 | | | चंडीगढ़ |
| 49 | | | गोवा |
| 50 | | | जयपुर |
| 51 | | | पटना |
| 52 | | | पुणे |
| 53 | | | वाराणसी |
| 54 | | | लखनऊ |

2. प्राधिकरण को कुछ स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों से कार्गो, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति संबंधी सेवाओं के संबंध में एमवाईटीपी/एटीपी प्रस्तुतियां प्राप्त हुई हैं। अभी इन प्रस्तावों की छानबीन की जा रही है और शीघ्र ही परामर्श पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों के संबंध में एमवाईटीपी/एटीपी प्रस्तुतियों की प्रतीक्षा की जा रही है।

3.	उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण को आशा है कि पूर्वोक्त सेवा प्रदाताओं के लिए टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया में कुछ समय लगने की संभावना है। इसलिए प्राधिकरण ने अंतरिम व्यवस्था के रूप में यह निर्णय लिया है कि उपर्युक्त तालिका के अनुसार स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों को 31.03.2022 को लागू मौजूदा टैरिफ की वसूली 01.04.2022 से 30.09.2022 तक छ: (6) माह की अगली अवधि या नियमित टैरिफ(फों) का निर्धारण होने तक, जो भी पहले हो, करने की अनुमति दी जा सकती है।

**<u>आदेश</u>**

**4.** उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 13 (1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :-

(i) उपर्युक्त तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न प्रमुख हवाईअड्डों पर कार्गो, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाले **स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं हवाईअड्डा प्रचालकों** को 31.03.2022 को लागू मौजूदा टैरिफ की वसूली **01.04.2022 से 30.09.2022 तक** अगले छ: (6) माह की अवधि या उनकी संबंधित नियंत्रण अवधियों के लिए ऐरा द्वारा नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) हवाईअड्डा प्रचालक संबंधित 'प्रमुख' हवाईअड्डों पर स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा समय पर प्रस्ताव पेश करना और आदेश का अनुपालन भी सुनिश्चित करें।

**प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता**

**(कर्नल मनु सूदन)**
**सचिव**

**सेवामें,**

**स्वतंत्र सेवा प्रदाता/हवाईअड्डा प्रचालक – (सलंग्नक – I और II के अनुसार)**

<u>प्रतिलिपि :</u>

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ;